नागरिक अधिकार पत्र

लोकायुक्त हरियाणा

हरियाणा राज्य के जन सेवकों के विरूद्ध आम आदमी की शिकायतों के निपटान हेतु समर्पित एक संस्था ।

हमारा उद्वेश्य :– पूर्णतः भ्रष्टाचार–मुक्त सरकारी तन्त्र ।

भूमिका– लोकायुक्त संस्था या ओम्बडसमैन, जैसा कि इसे अन्य देशों में जाना जाता है का गठन राज्य विधान मण्डल के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में किया गया है जोकि आम आदमी को हरियाणा राज्य के किसी भी जनसेवक के विरूद्व होने वाली शिकायतों को सरल, अपेक्षाकृत कम मंहगे व कम जटिल तथा कम समय लेने वाले तरीके से निपटा सके ।

लोकायुक्त संस्था जनता की प्रशासन के साथ सम्पर्क में आने के कारण उपजने वाली समस्याओं व शिकायतों तथा जन सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार व/या उनके द्वारा सार्वजनिक पदो के दुरूपयोग की शिकायतों की जांच हेतु समर्पित एक अर्द्ध–न्यायिक संस्था है ।

यह प्रशासनिक तन्त्र का और अधिक स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व सविंधान में समावेशित नीति निर्देशक सिद्धान्तों के वास्तविक अर्थों में आम आदमी के सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम है ।

हरियाणा लोकायुक्त विधेयक 2002 व हरियाणा लोकायुक्त (कृत्य शक्ति, जांच तथा अन्वेषण) नियम 2008 में समावेषित लोकायुक्त संगठन की मुख्य विशेषतायें व आम आदमी के इस संस्था से संबंधित अधिकारः–

धारा 2(म) 1. जन सेवक की परिभाषा को व्यापक रूप से विस्तृत किया गया है व निम्नांकित पदधारकों को जन सेवक के रूप में परिभाषित किया गया है:–

क मुख्य मंत्री , मंत्री व विधायक ।

ख राज्य के विभागों, राज्य बोर्डों व निगमों, कम्पनियों व सहकारी संस्थाओं में कोई भी पदधारक ।

ग शहरी स्वशासन संस्थाओं व पंचायत समितियों में कोई भी

पदधारक ।

ध विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, सह–उपकुलपति व रजिस्ट्रार ।

ड. हरियाणा राज्य द्वारा गठित या पंजीकृत, अधिनियमित किसी भी संविधित या गैर–संविधित निकाय में कोई भी पदधारक ।

धारा 10. 2(i.) कोई भी पीड़ित व्यक्ति स्वयं या यदि उसकी मृत्यु हो गई हो या वह ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो उसकी और से कोई ऐसा व्यक्ति जो कानूनन उसकी सम्पत्तियों का प्रतिनिधि हो या कानूनन उसे उस मृत व्यक्ति की ओर से कार्य करने का अधिकार हो तो वह व्यक्ति उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से शिकायत कर सकता है ।

(ii.) कोई भी व्यक्ति किसी जनसेवक के विरूद्ध निम्नॉकित कोई भी आरोप लगाते हुये शिकायत कर सकता हैः–

धारा 2ब (i) अ– कि जनसेवक ने जानते–बूझते व नियतन अपनी सरकारी हैसियत का अपने या किसी अन्य व्यक्ति को अवांछित लाभ पहुंचाने या हित साधने या किसी व्यक्ति को अवांछित कठिनाई में डालने या हानि पहुंचाने के लिए दुरूपयोग किया है ।

धारा 2ब (ii) ब– कि जनसेवक ने अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वाह अपने निजि हितों या भ्रष्ट उद्वेश्यों से प्रभावित हो कर किया है ।

धारा 2ब (iii) स– कि जनसेवक भ्रष्टाचार का दोषी है एवं जनसेवक के रूप में वांछित निष्ठा/ईमानदारी से विहीन है ।

धारा 2ब(iv) द– कि जनसेवक के पास अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से

असमानुपात में वित्तीय संसाधन या सम्पत्ति है व ऐसे संसधान व सम्पत्ति या तो जनसेवक के स्वयं के पास है या उसकी और से उसके किसी परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं ।

धारा 10(2) व नियम3

3.शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना नाम, पूरा पता व उस जनसेवक जिसके विरूद्ध वह शिकायत कर रहा है उसका नाम, पदनाम (सरकारी ओहदा) उसके पते व उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों/शिकायतों का अपनी शिकायत में जोकि विहित प्रारूप में होनी आवश्यक है, पूरा वर्णन करे । शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायतों के पक्ष में एक शपथपत्र (हलफनामा) देना भी आवश्यक है ।

धारा 8(i)

4. लोकायुक्त सरकार से संदर्भ प्राप्त होने पर किसी जनसेवक के विरूद्व आरोपों या शिकायतों की जांच कर सकता है ।

धारा 13

5. लोकायुक्त जनसेवक के विरूद्ध जन शिकायतों/आरोपों के अन्वेषण के दौरान हरियाणा राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय या किसी भी व्यक्ति से कोई भी रिकार्ड मंगवाकर उनकी जॉच कर सकता है । लोकायुक्त किसी भी जांच या अन्वेषण के संदर्भ मे किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना देने या कोई प्रलेख उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दे सकता है। इस उददेश्य हेतू लोकायुक्त की विस्तृत शक्तियां सिविल प्रकिया कोड (सी0पी0सी0)1908 के अन्तर्गत एक सिविल न्यायालय के समान है जो कि निम्नवत् है :–

(i) किसी भी व्यक्ति को बुलाना व उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं शपथ पर उसका परीक्षण करना ।

(ii) किसी भी प्रलेख/कागज़ात की प्रस्तुति/उपस्थिति सुनिश्चित करवाना ।

(iii) शपथ पर साक्ष्य लेना ।

(iv) किसी भी न्यायालय या सरकारी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक प्रलेख (Record) या उसकी प्रति मंगवाना ।

(v) गवाहों या प्रलेखों के परीक्षण हेतु आदेश–पत्र (Commission) जारी करना ।

नियम 8 (2)

6. किसी भी प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण के दौरान यदि कोई व्यक्ति लोकायुक्त के समक्ष साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति को इस बाबत लोकायुक्त कार्यालय से प्रमाण पत्र दिया जायेगा । ऐसा व्यक्ति यदि किसी निजी सेवा में है तो उसे इस दौरान कार्य/सेवा से अनुपस्थित नहीं माना जाएगा ऐसे व्यक्ति को लोकायुक्त द्वारा स्वीकृत उसके द्वारा व्यय किया गया यात्रा खर्च व गुजारा भत्ता दिया जाएगा । जो व्यक्ति निजी सेवा में नहीं है वह भी वास्तविक खर्च किए गए किराये व गुजारे भत्ते का अधिकारी होगा । यदि ऐसा व्यक्ति जन सेवक है तो उसे उस तिथि या दिन को सरकारी ड्यूटी पर उपस्थित माना जाऐगा तथा वह अपने विभाग से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

धारा 12 (3)व नि014 (2)

7. लोकायुक्त द्वारा प्रत्येक जांच असार्वजनिक रूप से की जायेगी व शिकायतकर्ता व जांच से प्रभावित होने वाले जनसेवक की पहचान जनता या प्रेस को नहीं बताई जायेगी । परन्तु सूचना के अधिकार

अधिनियम 2005 के उपबन्ध इस उपबन्ध पर लागू होंगे ।

धारा 11 **8.** लोकायुक्त कोई जनशिकायत प्राप्त होने पर, यदि ऐसा उचित समझे कि वह शिकायत अन्वेषण करने लायक है तो वह उसकी प्रारम्भिक जांच कर सकता है । प्रारम्भिक जॉच से अन्वेषण करने लायक प्रयाप्त आधार प्राप्त नं हाने पर मामले को समाप्त कर शिकायतकर्ता को तदानुसार सूचित कर दिया जाऐगा ।

धारा 10 (3) **9.**पुलिस हवालात, जेल, शरण स्थल या किसी भी बन्दीग्रह में बंद कोई व्यक्ति भी लोकायुक्त को पत्र लिख सकता है तथा संबंधित पुलिस अधिकारी, संबंधित जेल, शरण स्थल या बन्दीगृह के प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि उस पत्र को बिना खोले तुरन्त लोकायुक्त तक पहुंचाये । लोकायुक्त अपनी संतुष्टी से उस पत्र को एक शिकायत के रूप में स्वीकार कर सकता है ।

धारा 18(1) **10.**किसी शिकायत की प्राप्ति पर किसी घोर अन्याय के निवारण हेतु यदि लोकायुक्त उचित समझे तो वह किसी भी जनसेवक को कोई अन्तरिम निर्देश दे सकता है ।

धारा 14 (1–ब) **11.** लोकायुक्त किसी भी भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण, निशानदेही कर सकता है या उसका नक्शा भी बना सकता है।

धारा 16 **12.** किसी व्यक्ति को जानबूझकर, झूठी व पीड़ादायी व मात्र परेशान करने की दृष्टि से शिकायत करते हुए पाये जाने पर वह अधिकतम तीन वर्ष तक के सश्रम कारावास या अधिकतम दस हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों का भागीदार होगा ।

धारा 17 (1) **13.** किसी शिकायत की जांच के बाद यदि लोकायुक्त सन्तुष्ट हो

तो वहः—

(अ) कि कोई आरोप या शिकायत साबित नहीं हो पाया/पाई है तो मामले को बन्द कर संबंधित सक्षम प्राधिकारी को तदानुसार सूचित कर देगा ।

(ब) किसी भी जनसेवक के विरूद्ध किसी शिकायत के पूर्णतया या आंशिक रूप से सही पाए जाने पर इस विषय में अपने तथ्यों, समुचित सिफारिशों एवं सुझावों को रिर्पोट के रूप में संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा एवं इस रिर्पोट की सूचना शिकायतकर्ता एवं संबंधित जन सेवक को भी देगा ।

धारा 17(2) **14.**सक्षम प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सिफारिश की गई कार्यवाही का अध्ययन कर संबंधित जनसेवक के विरूद्ध की गई कार्यवाही की रिर्पोट तीन माह के भीतर लोकायुक्त को प्रस्तुत करे ।

धारा 17 (3) व (4) **15.** लोकायुक्त अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिर्पोट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है व राज्यपाल अपने स्तर पर वह रिर्पोट राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करवातें हैं ताकि जन प्रतिनिधि व आम—जनता भी लोकायुक्त की गतिविधियों व दोषी जनसेवकों के विरूद्ध सिफारिश की गई कार्यवाही व उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही को जान सकें ।

नियम 4 **16.**शिकायत करने हेतु शिकायतकर्ता को रू0 1000/— का शुल्क न्यायिक स्टाम्प (न्यायालय शुल्क स्टाम्प) कागज़ों में अदा करना पड़ेगा । परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत करने पर लोकायुक्त अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त मामलों में शुल्क को माफ भी कर सकता है ।

धारा 8 (2) **17.** लोकायुक्त की दृष्टि में किसी जनसेवक के विरूद्व लगाए आरोपों की भलीभांति जांच करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति के किसी कार्य या उसके आचरण की भी जांच करनी आवश्यक हो तो लोकायुक्त ऐसा करने में सक्षम होगा परन्तु लोकायुक्त ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का व अपने बचाव में सुबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान करेगा ।

नियम 7 **18.** प्रारभिक जांच या अन्वेषण संचालित करते समय लोकायुक्त सरकार की अनुमति से किसी भी एजेन्सी या व्यक्ति या व्यवसायिकों जिसमें विषय विशेषज्ञ इत्यादि शामिल हैं, को उपयुक्त फीस, के भुगतान पर रख सकता है ।

19. कोई भी नागरिक लोकायुक्त संगठन से समबन्धित कोई भी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है । इस विषय में लोकायुक्त कार्यालय के अवर सचिव व अधीक्षक को क्रमशः राज्य जनसूचना अधिकारी व सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी पदनामित कर दिया गया है । इस विषय में असंतुष्ट होने पर नागरिक "वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,हरियाणा सरकार –सह–सचिव लोकायुक्त कार्यालय" जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलिय प्राधिकारी पदनामित किया गया है, को अपील भी कर सकता है ।

20.लोकायुक्त अधिनियम 2003 के विस्तृत प्रावधान व इस अधिनियम

के अन्तर्गत बनाये गये लोकायुक्त नियम 2008 तथा अन्य प्रासंगिक सूचना को सरकार की वैबसाईट www.haryana.gov.in एवं लोकायुक्त की वैबसाईट www.hrlokayukta.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है । और अधिक सूचना एवं सम्पर्क हेतु निम्न दूरभाष नं0 तथा ई–मेल पते निम्नवत् है :–

कमांक	कार्यालय धारक	दूरभाष नं0	ई–मेल आई डी
1.	लोकायुक्त हरियाणा चण्डीगढ	0172–2713996	lokayukta@hry.nic.in
2.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,हरियाणा सरकार–सह–सचिव लोकायुक्त कार्यालय हरियाणाा (जिनका कार्यालय मुख्य सचिवालय भवन सैक्टर–1 चण्डीगढ में स्थित है)	0172–2740825	salinslm@hry.nic.in
3.	अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय हरियाणा,	ई0पी0बी0एक्स0 0172–2713965, 0172–2713772 (विस्तार333)	–
4.	लोकायुक्त हरियाणा,चण्डीगढ के रीडर	–यथोपरि (विस्तार204)	–

CITIZEN'S CHARTER

LOKAYUKTA HARYANA

AN ORGANIZATION COMMITTED TO REDRESSAL OF COMPLAINTS OF THE COMMON MAN AGAINST PUBLIC SERVANTS OF HARYANA STATE.

OUR MOTTO- A TOTAL CORRUPTION-FREE GOVERNANCE

INTRODUCTION: - The institution of Lokayukta or ombudsman as it is known in other countries has been constituted under an Act of State Legislature in the year 2003 to provide the common man a relatively less expensive, easier, less time-consuming and less complicated means for redressal of grievances against any public servant of Haryana State.

The institution of Lokayukta is a quasi-judicial body committed to enquire into problems faced during people's interaction with public servant and also complaints of corruption and/or misuse of official position relating to public servant of Haryana. It is a step to ensure a greater degree of accountability in Governance, empowering the common man in the spirit of the Directive Principles enshrined in the Constitution.

Main Characteristics Of Lokayukta Organization and Rights Of Common Man in respect of this Organization as enshined in the Haryana Lokayukta Act 2002 and Haryana Lokayukta (Functions, Powers, Inquiry and Investigation) Rules, 2008.

(1) Definition of Public Servant has been considerably broadened and the following office bearers have been termed as public servants:-

Sec 2(m)

a) Chief Minister, Ministers & MLAs.

b) Any office bearer in Govt. Deptts., State Boards & Corporations, Companies and Cooperative Societies.

c) Any Office bearer in Municipal Bodies, & Panchayat Samities.

d) VC, Pro VC and Registrar in Universities.

e) Office Bearers in any Statutory or Non-Statutory Bodies registered or constituted by State of Haryana.

Sec 10

(2)(i) Any aggrieved person himself or if he is dead or unable to act himself, any person, on his behalf, who in law represents his estate or is permitted to act on his behalf, may make a complaint on his behalf.

(ii) Any person may make a complaint wherein an allegation against a public servant is levelled in respect of following:-

Sec 2(b-i)

(a) That the public servant has knowingly and intentionally abused his position as such to obtain undue gain or favour to himself or to any other person or to cause undue hardship or harm to any other person.

Sec 2(b ii)

(b) That the public servant has discharged his official duties having been

influenced by personal interest or improper or corrupt motives.

Sec 2(b-iii) (c) That the public servant is guilty of corruption and lacks the integrity in his capacity as such.

Sec 2(b-iv) (d) That the public servant possesses pecuniary resources or property disproportionate to his known source of income and such pecuniary resources or property is held by the public servant personally or by any member of his family or by some other person on his behalf.

Sec10(2) & Rule 3 3. The complainant is required to mention his name, full address, name and official designation, address of public servant against whom complaint is preferred alongwith allegation(s)/grievance(s) against such public servant, in detail. The complainant is also required to submit an affidavit in support of his complaint made by him.

Sec.8(1) 4. The Lokayukta may on receipt of a reference from Govt. proceed to enquire into allegations or the grievances made against a public servant.

Sec 13 5. Lokayukta while investigating the allegations contained in public complaint against a public servant may summon and examine any record of any public office of State of Haryana or summon and examine any person. Lokayukta may require any person to divulge any information or to produce any document for the purpose of any enquiry or investigation. For this purpose he enjoys vast powers of a civil court under the provisions of CPC 1908 namely:-

(i) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(ii) requiring the discovery and production of any document;

(v) receiving evidence on affidavits;

(vi) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office; and

(v) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

Rule 8(2) 6. During the course of preliminary enquiry or investigation if any person appears before Lokayukta for giving evidence or to produce, any

document, he would be given a certificate to this effect by Lokayukta office. If such a person is employed in private service he or she shall not be deemed absent from duty during this period. Such person would be given travelling expenditure incurred and subsistence allowance as may be permitted by the Lokayukta. The person who is not in private service shall also be entitled to actual travelling expenditure incurred by him and subsistence allowance. If such person is a public servant he shall be treated as on duty on that day or date and he shall be entitled to claim TA/DA from his Deptt.

Sec.12(3) Rule 14(2) — 7. Subject to provisions of RTI Act 2005 every investigation shall be conducted in private by Lokayukta and identity of complainant and public servant affected by investigation shall not be disclosed to public or press.

Sec.11 — 8. On receipt of a public complaint the Lokayukta may hold a preliminary enquiry to ascertain whether the complaint deserves to be investigated. If no sufficient grounds for conducting investigation are ascertained, the matter will be closed and complainant informed accordingly.

Sec.10(3) — 9. Even a person, lodged in police custody, jail or in any asylum or custodial place may write a letter to Lokayukta and it would be duty of the Police Officer, Incharge of such Jail, Asylum or Custodial place to immediately forward that letter to Lokayukta unopened and Lokayukta may, if he is satisfied, treat that letter as a complaint.

Sec.18(i) — 10. Lokayukta may issue interim direction to any of public servants, if he so deems fit, to avoid grave injustice on receipt of a complaint.

Sec.14 (1-(b) — 11. Lokayukta may enter upon any land and survey, demarcate or prepare the map of the same.

Sec.16 — 12. Any person found willfully and maliciously making false and vexatious complaint shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to ten thousand rupees or both.

Sec.17(1)	**13.** If, after inquiry in respect, of a complaint, the Lokayukta is satisfied:- (a) that no allegation or grievance has been substantiated, he shall close the case and intimate the competent authority concerned accordingly; (b) that all or any of the allegations or grievances have or has been substantiated either wholly or partly, he shall, by report in writing, communicate his findings, appropriate recommendations and suggestions to the competent authority and intimate the complainant and the public servant concerned about his having made the report.
Sec.17(2)	**14.** The Competent authority is duty bound to examine and to inform the Lokayukta of the action taken against the public servant on his report within a period of three months.
Sec.17(3)&(4)	**15.** Lokayukta presents a consolidated annual report of his activities to the Governor and the Governor, in turn, causes the same to be placed before State Legislature so that public representatives as well as public at large may come to know the activities of Lokayukta as well as action recommended against guilty public servants and follow-up action taken thereupon.
Rule 4	**16.** The complainant shall have to pay a fee of Rs. one thousand in the form of Judicial Stamps (Court fee stamps) for lodging a complaint. Provided that the Lokayukta may, on an application made by the complainant, in his discretion **waive** the requirement of payment of fee in appropriate cases.
Sec.8(2)	**17.** The Lokayukta may enquire into any act or conduct of any person other than a public servant, if the same is necessary, in his view for proper enquiry into allegation of misconduct against a public servant provided that the Lokayukta shall give such person reasonable opportunity of being heard and to produce evidence in his defence.
Rule 7	**18.** While conducting a preliminary inquiry or an investigation, the Lokayukta may engage any agency or person or professionals including subject experts etc. on payment of a reasonable fee with the approval of

the Government.

19. Any citizen can obtain any information regarding Lokayukta organization under the provisions of RTI Act, 2005. The Under Secretary and Superintendent O/o Lokayukta have been designated as State Public Information Officer and Asstt. State Public Information Officer respectively in this respect. On being dissatisfied in this regard a citizen can appeal to "The Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana-cum-Secretary O/o Lokayukta", who has been designated as First Appellate Authority under the RTI Act, 2005.

20. The detailed provisions of the Lokayukta Act 2003 and Haryana Lokayukta Rules 2008 framed thereunder, the organizational chart and other relevant information can be had from the website of the government in www.haryana.gov.in and Lokayukta website www.hrlokayukta.gov.in

For further information the following numbers and e-mail addresses may also be contacted:-

Sr. No.	Office Bearers	Telephone No.	E-mail ID
1	Lokayukta, Haryana, Chandigarh	0172-2713996	lokayukta@hry.nic.in
2.	"The Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt., Haryana-cum-Secretary, o/o Lokayukta, Haryana" (His office is in main Sectt. Building Sec.1, Chd.)	0172-2740825	salinslm@hry.nic.in
3.	The Under Secretary O/o Lokayukta, Haryana, Chandigarh.	EPBX 0172-2713965, 0172-2713772 (Extn. 333)	-----
4	Reader to Lokayukta, Haryana, Chandigarh	-do- (Extn. 204)	-----